न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रशाद आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
06	18-6-19	19-6-19

उनवान

1- प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बासकृपालनगर तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर

:-प्रार्थी

बनाम

1- राज.सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढ-बास जिला अलवर।

:-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 आर.एल.एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त वृतान्त निम्न प्रकार से हैं :-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि आ.ख.नं. हाल 774/0.67, 775/0.02, 776/0.01, 777/0.46, 778/0.20, 779/0.05, 761/1281/0.28, 789/0.58, 791/0.67, 792/0.32 कुल किता 10 रकबा 3.56 वाके ग्राम बास कृपाल नगर तहसील किशनगढ-बास में माननीय जिला कलक्टर महोदय अलवर द्वारा महाविद्यालय हेतु आवंटित की गई है।

उपरोक्त आराजी का सीमांकन दिनांक 19-2-19 को राजस्व कर्मचारियान द्वारा किया गया था। किन्तु पत्थर गढी वक्त सीमांकन नहीं कराई जा सकी। चूँकि महाविद्यालय की ओर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है इसलिए उक्त भूमि का सीमांकन कराकर पत्थर गढी कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी का सीमांकन कराया जाकर पत्थर गढी कराये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब लिया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब जिमन वार पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही है स्वीकार है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जिमन नं. 1 स्वीकार है उक्त भूमि महाविद्यालय हेतु आवंटित हुई है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

---2--

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र का जिमन नं. 2 स्वीकार है उपरोक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 18-2-19 को राजस्व कार्मिकों द्वारा करा दिया गया था।

प्रार्थना पत्र का जिमन नं. 3 सही है स्वीकार है उपरोक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी नहीं की गई है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। यदि श्रीमान द्वारा पत्थरगढी आदेश जारी किए जाते हैं तो भूमिधारी की हैसियत से अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया प्रा. पत्र के संलग्न श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आवंटन आदेश का भी अवलोकन किया। जिससे साबित है कि उपरोक्त आराजी महाविद्यालय हेतु आवंटित की गई है। अप्रार्थी के जवाब अनुसार उक्त अराजी का सीमाज्ञान पूर्व में कराया जा चुका है परन्तु पत्थर गढी नहीं हुई है। पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश हैं कि:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) किशनगढ-बास को आदेश दिये जाते हैं महाविद्यालय को आवंटित आ.ख. नं. 774/0.67, 775/0.02, 776/0.01, 777/0.46, 778/0.20, 779/0.05, 761/1281/0.28, 789/0.58, 791/0.97, 792/0.32 किता 10 रकबा 3.56 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढ-बास की पैमाईश/सीमांकन कराया जाकर पत्थर गढी कराई जावे। पत्थरगढी कराये जाने से पूर्व प्रार्थी को सूचित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ-बास को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

18.6.19

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ-बास(अलवर)

Scanned by CamScanner